

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डॉ० संदीप कुमार मिश्रा, सह-प्राध्यापक (एनाटोमी विभाग) दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लहेरियासराय, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध दिनांक-22.04.2008 से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डॉ० मिश्रा के विरुद्ध अनुबध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 एवं बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी0) के अधीन डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डॉ० मिश्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हों।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव;

ज्ञापक:-सं0सं0-9/आ0-07-05/2024(स्वा0).126(1)/ पटना, दिनांक : 26.12.24

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० संदीप कुमार मिश्रा, सह-प्राध्यापक (एनाटोमी विभाग) दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लहेरियासराय, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-18/465, इन्दिरा नगर, लखनऊ, पिन कोड-226016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/12/24

सरकार के अवर सचिव।

17.01.25